
	<p>नेशनलसीड्सकॉर्पोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुस्वल्न कंपनी) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509&223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873</p>	
---	--	--	---

क्र.स.सी.एस.एफ./2-185/कृषि/2018-19/

दिनांक: 16.07.2020.

निविदा- सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर में स्थित **खण्ड-1, 2 व 3 के गड्डों में मछली पकड़ने व बचने का कार्य करवाने** के लिए खुली बोली/निविदाएं दिनांक 04.08.2020 को 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि उसी दिन सांय 2.30 बजे खोली जायेंगी। निविदा में भाग लेने से अमानत राशि **रु0 25,000.00 मात्र** (पच्चीस हजार मात्र) व रूपये **236/-टेंडर** फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ़** के नाम देय हो, फार्म खजांची के पास जमा कराना होगा । नियम व शर्ते विभागीय वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी प्राप्त किया जा सकता है। पैन कार्ड, पहचान पत्र, अन्य आवश्यक सबूतों आदि की प्रतिलिपि सहित जमा कराना होगा।

उत्पादन अधिकारी
कृते निदेशक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़



फार्म में खण्ड-1, 2 व 3 के गड्डों में मछली पकड़ने का ठेका लेने के लिए नियम व शर्तें

1. फार्म के गड्डों में मछली पकड़ने के लिए अमानत राशि रूपये 25000.00 (रूपये पच्चीस हजार) का डी0डी0 जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम सूरतगढ़** के नाम देय हो, फार्म खजांची के पास जमा कराना होगा। सफल निविदादाता की अमानत राशि कार्य सन्तोषजनक होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
2. सफल बोलीदाता/निविदादाता को बोली समाप्त होते ही सम्पूर्ण रकम का एक तिहाई हिस्सा उसी दिन जमा कराना होगा तथा शेष रकम अगले दस दिवस में जमा करानी होगी।
3. ठेकेदार द्वारा मछली पकड़ने/रखवाली करने के आदमी ठेकेदार को लगाने होंगे तथा उनकी सूची इस कार्यालय को देनी होगी।
4. मछली निकालने के लिए ठेके की अवधि **31.3.2021** तक होगी।
5. कोई भी ठेकेदार आधा किलो से कम वजन की या 9 ईंच से कम साईज की मछली नहीं बेचेगा। जिन मछलियों पर सरकार की पाबन्दी है उन्हे भी नहीं बेचेगा।
6. यदि मछली पकड़ने पर टैक्स या अन्य किसी प्रकार का कर देय होगा तो उसका भुगतान ठेकेदार को ही करना होगा। यदि ठेकेदार के आदमियों द्वारा फार्म की फसलों या अन्य किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
7. ठेकेदार,उसके हिस्सेदार या उसके एजेन्ट के द्वारा फार्म के किसी अधिकारी/कर्मचारी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे यदि ऐसा हुआ तो फार्म निदेशक का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
8. ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
9. मछली पकड़ने के लिए जाल,व्यक्ति आदि तथा इन्हे लाने लेजाने की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी तथा सम्बन्धित चक/खण्ड प्रभारी से गेटपास लेकर ही माल लेजाना होगा।
10. किसी भी गड्डे में भरे हुए पानी को निकालने या किसी पानी के बहाव में रुकावट पैदा करने के लिए निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ से अग्रिम अनुमति प्राप्त करनी होगी।
11. अमान्य बोली से दोबारा आंमत्रित बोली में अगर रकम अधिक हुई तो उस पर ठेकेदार का किसी प्रकार का हक नहीं होगा। प्रथम ठेकेदार के ठेका छोड़ने पर दोबारा बोली की राशि पहली बोली की से कम होने पर अंतर की राशि पहले ठेकेदार की जमा राशि में से काट ली जायेगी।
12. ठेके के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना/जन हानि व क्षति होने पर फार्म जिम्मेवार नहीं होगा।
13. विलम्ब से जमा की जाने वाली राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक माह तक के लिए ब्याज सहित पूर्ण रकम जमा करने का समय होगा। निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा न करने पर समस्त जमा राशि (मय धरोहर राशि) को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।इसके बाद पुनः निविदा/निलामी यदि कम दर आने पर फार्म का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से की जायेगी।
14. सभी प्रकार कही वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।
15. सफल बोलीदाता को रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध मय गवाहों के हस्ताक्षर के देना होगा।
16. किसी प्रकार का मतभेद या विवाद होने पर मामले को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबन्धक निदेशक या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि के समक्ष निपटान हेतु पेश किया जायेगा जिसका फैसला अन्तिम होगा व दोनों पक्षों को मान्य होगा, फिर भी विवाद होने पर न्याय हेतु सूरतगढ़ न्यायालय क्षेत्र ही मान्य होगा।
17. पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मे अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नामित एकल आर्बिट्रटर का निर्णय अंतिम होगा जो कि पक्षकारान को मान्य होगा। न्यायिक मामले उस न्यायलय में क्षेत्राधिकार माना जायेगा जिसके अंतर्गत एकल मध्यस्थ के सुनवाई होगी।

हस्ताक्षर ठेकेदार/निविदादाता

नाम व पूरा पता

.....

	<p>नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुस्वत्व कंपनी) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509&223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873</p>	
---	---	--	---

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़

निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांकनिविदा भेजने हेतु पता:- उपमहाप्रबन्धक(फार्म) केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

निविदा खोलने की दिनांक:-04.08.2020 –स्थान:- मीटिंग हाल, मुख्यालय, केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़

विषय:- केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति में सन्दर्भित **खण्ड-1, 2 व 3 के गड्डों में मछली पालने व बचने का कार्य करवाने** हेतु 31.03.2020 की अवधि के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. पूरा पता :-.....
.....
4. दूरभाष/मो0 नम्बर :-.....
5. पैन नम्बर :-.....(प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र नम्बर(वोटर आई डी,आधार कार्ड आदि).....
(प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क(रू0 236/-) रसीद संख्या.....दिनांक.....अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....

निविदा राशि प्रस्ताव (टेण्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में सन्दर्भित **खण्ड-1, 2 व 3 के गड्डों में मछली पालने व बचने का कार्य करवाने** हेतु 31.03.2021 की अवधि के लिये ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

क्रमशः....2.....

ढेका न0	कार्य का वलवरण	ब्लॉक	नलवलदा दर खणुड-1, 2 व 3 के खणुडों के ललए (रू. में)
1	खणुड-1, 2 व 3 के गडुडों में मछली पालने व बचने का कार्य करवानें हेतु 31.03.2021 की अवधि के ललए ठेके पर लेने	खणुड-1,2,3	

धरोहर राशल का वलवरण:-

नलवलदा वलजुप्तल के अनुसार जमा कलए गये/कलए जाने वाली राशल का वलवरण:-

ढेका नम्बर	बैंक डुराफुट न0 एवं दलनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशल रूपयों में (अकों व शबुदों में)

(उपरोक्त डलमाणुड डुराफुट संलग्न कलए जायें)

मैं/हम यह प्रमाणलत करता हूँ/करते हैं कल उपरोक्त नलवलदा की सभी शर्तें पढ व समजु ली है। मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य है। शर्तों की प्रतलललपल पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमतल से नलवलदा प्रेषलत हैं।

नलवलदादाता के हस्ताक्षर

(नाम व पूरा पता)

.....